भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1419

दिनांक 28/07/2026 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता

1419. श्री देवेश शाक्यः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एटा-कासगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की उन ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जिन्हें उच्च गति ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवा केंद्रों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है तथा उक्त पंचायतों में से ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ ये सेवाएं वर्तमान में पूरी तरह से चालू हैं;

(ख) क्या सरकार स्थानीय स्तर पर ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और सार्वजनिक उपयोगिताओं के प्रभावी संचालन के लिए ग्राम पंचायतों को सीधे वित्तीय सहायता और अधिक प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार पैदा करने के लिए 'पंचायत उद्योग मॉडल' या ऐसी ही किसी अन्य योजना लागू करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) देश भर की सभी ग्राम पंचायतों के पास फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्शन और निजी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं सहित कई माध्यमों से इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। ईग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लगभग सभी ग्राम पंचायतें नियमित रूप से अपनी वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार करती हैं और उन्हें पोर्टल पर अपलोड करती हैं, जिससे पता चलता है कि वे इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, एटा तथा कासगंज जिलों में भारतनेट परियोजना की स्थिति निम्नानुसार हैः

जिला	चरण-I एवं चरण-II के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु नियोजित ग्राम पंचायतों की संख्या	संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु नियोजित ग्राम पंचायतों की संख्या	चरण-I एवं चरण-II के अंतर्गत संयोजित ग्राम पंचायतों की संख्या	एबीपी के अंतर्गत संयोजित ग्राम पंचायतों की संख्या	जून, 2026 के दौरान परिचालनरत ग्राम पंचायतों की संख्या
एटा	**399**	**178**	**399**	**1**	**33**
कासगंज	**228**	**196**	**228**	**19**	**22**

इस विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 04.08.2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (ABP) को मंज़ूरी दी । इसके तहत मौजूदा भारतनेट फ़ेज़-I और फ़ेज़-II नेटवर्क को रिंग टोपोलॉजी में अपग्रेड करने, साथ ही दस वर्ष की अवधि के लिए नेटवर्क के संचालन, रखरखाव और उसका इस्तेमाल करना है।

(ख) पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की संस्थागत क्षमता को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी रूप से संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को क्षमता-निर्माण में मदद दी जाती है जिसके लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण और पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) कार्यक्रमों, विषयगत सुधारों, विशेष प्रशिक्षण और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान, विषय 5 - स्वच्छ और हरित गांव के तहत 1,90,576 प्रशिक्षण दिए गए, जिसमें स्थानीय स्तर पर ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं का प्रभावी संचालन शामिल है।

इसके अलावा, सोलहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि मूल अनुदान का 50% 'स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' और/या 'जल प्रबंधन' के लिए निर्धारित किया जाए।ग्रामीण स्थानीय निकायों को इन निधियों का उपयोग स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से करने की यह छूट दी गई है। जिसमें स्वच्छता अवसंरचना, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन के संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) शामिल है। यह वित्तीय सहायता ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्तर पर आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

इसके अलावा, ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत, मंत्रालय ने ई-ग्रामस्वराज और एम-एक्शनसॉफ्ट जैसे डिजिटल ऐप विकसित किए हैं। ये ऐप ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी में मदद करते हैं, साथ ही परिसंपत्तियों और कार्यों की जियो-टैगिंग में भी सहायक हैं। जिनमें स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्य भी शामिल हैं, ये ऐप पंचायत की गतिविधियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी को बढ़ावा देते हैं।

(ग) पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है, परंतु, मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं को मज़बूत बनाने के लिए कई पहल कर रहा है। इनमें क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) और डिजिटल शासन, योजना, पारदर्शिता और कुशल सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) शामिल हैं। ग्रामीण युवाओं के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के माध्यम से रोज़गार और स्वरोज़गार के कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं, और जहाँ भी लागू हो, वहाँ पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय योजना बनाने और उन्हें लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
